

निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 01/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/16

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर


.....प्रार्थी

1. बालाजी मिष्ठान भण्डार, पता- सपोटरा करोली।
2. श्री हरकेश माली निवासी वार्ड नं.13 महुकलां गंगापुरसिटी अरामपुरा सवाई माधोपुर 322202।
3. श्री मीठालाल माली निवासी गंगापुरसिटी महुकलां जिला सवाई माधोपुर 322201।
4. श्री सुरेश माली निवासी म.नं. 707 तुल्सयापुरा महुकलां सवाई माधोपुर अन्य पता सम्पत्ती स्थित ख.नं. 508, गांव महुकलां पटवार हल्का महुकलां तहसील गंगापुरसिटी गंगापुरसिटी रोड के पास, जिला सवाई माधोपुर।
.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

—:: आदेश ::—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में बालाजी मिष्ठान भण्डार प्रोपराईटर मीठालाल माली निवासी महुकलां तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति भूखण्ड 1664 वर्गफीट, खसरा नं0 508 ग्राम महुकला पटवार हल्का महुकलां तहसील गंगापुरसिटी नियर गंगापुर रोड जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली 4 फिट चौड़ी, पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर में चरपेटवा भूखण्ड श्री प्रहलाद माली व दक्षिण में चरपेटवा भूखण्ड श्री बाबू सैनी है, जिसका क्षेत्रफल 1664 वर्ग फीट है, को बंधक रखकर 6,00,000 (छः लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति भूखण्ड 1664 वर्गफीट, खसरा नं0 508 ग्राम महुकला पटवार हल्का महुकलां तहसील गंगापुरसिटी नियर गंगापुर रोड जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली 4 फिट चौड़ी, पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर में चरपेटवा भूखण्ड श्री प्रहलाद माली व दक्षिण में चरपेटवा भूखण्ड श्री बाबू सैनी है, जिसका क्षेत्रफल 1664 वर्ग फीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को सुनाया गया।


(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

